ए.

जीओवीटी। एन. सी. टी. दिल्ली और ए. एन. आर. बनाम

एसएच। नरेनडर और ए. एन. आर. (2023 की सिविल अपील संख्या 740) फरवरी 09,2023

बी.

[एम**.** आर**.** शाह और सी**.** टी**.** रविकुमार**,** जे**.** जे**.]**

भूमि अधिग्रहण-भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 -धारा 24 (2)-भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894-पुणे नगर निगम के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए, उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी सं.1 और घोषित किया कि विषय भूमि के अधिनियम, 1894 के तहत शुरू की गई भूमि अधिग्रहण कार्यवाही एस के तहत समाप्त हो गई है।24(2) अधिनियम, 2013 के अनुसार-पुणे नगर निगम के मामले में निर्णय को इंदौर विकास प्राधिकरण के मामले में संविधान पीठ के फैसले द्वारा विशेष रूप से खारिज कर दिया गया है-तदनुसार, दो शर्तों को पूरा करना होगा, अर्थात् कब्जा नहीं लेना और मुआवजे का भुगतान नहीं करना और यदि एक शर्त पूरी नहीं होती है तो अधिग्रहण में कोई चूक नहीं होगी-विचाराधीन भूमि का कब्जा विधिवत रूप से 14.09.2007 पर लिया गया था-इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने यह घोषणा करने में गंभीर त्रुटि की कि विचाराधीन भूमि के संबंध में अधिग्रहण यू/एस के तहत समाप्त हो गया है।24(2) अधिनियम, 2013 का निर्णय-उच्च न्यायालय का निर्णय अस्थिर है।

सी.

डी.

ई.

एफ.

इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम मनोहरलाल और अन्य।

(2020) 8 एससीसी **129:[2020] 3** एस**.** सी**.** आर**. 1-**अनुसरण किया गया।

पुणे नगर निगम और अन्र बनामहरकचंद

मिश्रीमल सोलंकी और अन्य (2014) 3 एस. सी. सी. 183-खारिज।

जी.

संदर्भित निर्णय

(2014) 3 एससीसी **183**

निरस्त किया गया

पैरा **2**

[2020] 3 एससीआर **1**

पीछा किया।

पैरा **3**

एच.

413

414

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 1 एस सी आर।

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील No.740

2023.

2015 की रिट याचिका (सी) No.10670 में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांकित 02.08.2016 के निर्णय और आदेश से।

बी.

हुजेफा अहमदी, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री सुजीता श्रीवास्तव, शिवम सिंह, रोहन शर्मा, सुश्री शास्वती पारही, गोपाल सिंह, सुश्री इति शर्मा, राहुल भाटिया, मिश्रा सौरभ, सुश्री मनिका त्रिपाठी, आशुतोष कौशिक, मनीष वशिष्ठ, रोशन कुमार, नितिन मिश्रा, साहिल टागोत्रा, अभिषेक पांडे, सुश्री अभियक्ति बनर्जी, सुश्री साक्षी गर्ग, सुश्री सुनीता ओझा, अधिवक्तागण उपस्थित दलों के लिए।

सी.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम**.** आर**.** शाह**,** जे**.**

1. 2015 की लिखित याचिका (सी) संख्या 10670 में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत उक्त रिट याचिका को अनुमति दी है-मूल रिट याची और घोषणा की है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (इसके बाद "अधिनियम, 1894" के रूप में संदर्भित) के तहत शुरू की गई भूमि अधिग्रहण कार्यवाही को भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम, 2013 (इसके बाद "अधिनियम, 2013" के रूप में संदर्भित) में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार की धारा 24 (2) के तहत व्यपगत माना जाता है।

डी.

ई.

एफ.

2.उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश से और यहां तक कि उच्च न्यायालय के समक्ष दायर जवाबी हलफनामे से भी, यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी और मूल उत्तरदाताओं की ओर से यह विशिष्ट मामला था कि विचाराधीन भूमि का कब्जा 14.09.2007 पर लिया गया था।हालाँकि, उपरोक्त के बावजूद, के निर्णय पर भरोसा करते हुए

जी.

पुणे नगर निगम और ए. एन. आर. के मामले में यह न्यायालय। बनाम हरकचंद मिसिरीमल सोलंकी और अन्य (2014) 3 एस. सी. सी. 183,

उच्च न्यायालय ने उक्त रिट याचिका को स्वीकार कर लिया है और घोषणा की है कि विषय भूमि के अधिनियम, 1894 के तहत शुरू की गई भूमि अधिग्रहण कार्यवाही अधिनियम, 2013 की धारा 24 (2) के तहत समाप्त हो गई है।

एच.

415

जीओवीटी। एन. सी. टी. दिल्ली और ए. एन. आर. बनामएसएच। नरेनडर और ए. एन. आर. [एम. आर. शाह, जे.] ए.

ए.

3. हालाँकि, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि इस निर्णय का

पुणे नगर निगम और ए. एन. आर. (ऊपर) के मामले में न्यायालय,

जिस पर उच्च न्यायालय ने विवादित निर्णय और आदेश पारित करते समय भरोसा किया है, उसे इंदौर विकास के मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले द्वारा विशेष रूप से खारिज कर दिया गया है।

बी.

प्राधिकरण बनाम मनोहरलाल और अन्य, (2020) 8 एससीसी 129।में।

पैराग्राफ 365 और 366, इस न्यायालय की संविधान पीठ ने निम्नलिखित रूप में अवलोकन और अभिनिर्धारित किया हैः-

“365. परिणामस्वरूप, पुणे नगर निगम में निर्णय दिया गया।[पुणे नगर निगम।v. हरकचंद मिसिरीमल सोलंकी, (2014) 3 एस. सी. सी. 183] को इसके द्वारा खारिज कर दिया गया है और अन्य सभी निर्णय जिनमें पुणे नगर निगम शामिल है।[पुणे नगर निगम।बनाम हरकचंद मिसिरीमल सोलंकी, (2014) 3 एस. सी. सी. 183] का पालन किया गया है, जिन्हें भी खारिज कर दिया गया है।श्री बालाजी नगर आवासीय एसोसिएशन में निर्णय। [श्री बालाजी नगर आवासीय संघ बनाम टी. एन. राज्य, (2015) 3 एस. सी. सी. 353] को अच्छा कानून निर्धारित करने वाला नहीं कहा जा सकता है, इसे खारिज कर दिया जाता है और इसके बाद के अन्य निर्णयों को भी खारिज कर दिया जाता है।इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम शैलेंद्र [(2018) 3 एस. सी. सी. 412] में, धारा 24 (2) के परंतुक के संबंध में पहलू और क्या "या" को "न" के रूप में पढ़ा जाना है या "और" के रूप में विचार के लिए नहीं रखा गया था। इसलिए, वर्तमान निर्णय में चर्चा के आलोक में वह निर्णय भी प्रबल नहीं हो सकता है।

सी.

डी.

ई.

366. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए**,** हम निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देते हैंः

एफ.

366.1.धारा 24 (1) (ए) के प्रावधानों के तहत यदि 2013 के अधिनियम के प्रारंभ की तारीख के अनुसार पुरस्कार नहीं दिया जाता है, तो कार्यवाही में कोई चूक नहीं होती है।2013 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत मुआवजे का निर्धारण किया जाना है।

जी.

366.2.यदि न्यायालय के अंतरिम आदेश द्वारा कवर की गई अवधि को छोड़कर पांच साल की अवधि के भीतर पुरस्कार पारित किया गया है, तो कार्यवाही 1894 अधिनियम के तहत 2013 अधिनियम की धारा 24 (1) (बी) के तहत प्रदान किए गए अनुसार जारी रहेगी जैसे कि इसे निरस्त नहीं किया गया है।

366.3.कब्जा और मुआवजे के बीच धारा 24 (2) में उपयोग किए गए शब्द "या" को "न" या "और" के रूप में पढ़ा जाना चाहिए।2013 के अधिनियम की धारा 24 (2) के तहत भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही की मानित समाप्ति तब होती है जब उक्त अधिनियम के शुरू होने से पहले पांच साल या उससे अधिक समय तक अधिकारियों की निष्क्रियता के कारण, भूमि का कब्जा नहीं लिया गया है और न ही मुआवजे का भुगतान किया गया है।दूसरे शब्दों में, यदि कब्जा ले लिया गया है, तो मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है तो कोई चूक नहीं है।इसी तरह, अगर मुआवजे का भुगतान किया गया है, कब्जा नहीं लिया गया है तो कोई चूक नहीं है।

बी.

सी.

366.4.2013 के अधिनियम की धारा 24 (2) के मुख्य भाग में "भुगतान" अभिव्यक्ति में न्यायालय में मुआवजे की जमा राशि शामिल नहीं है।जमा न करने का परिणाम धारा 24 (2) के परंतुक में प्रदान किया गया है, यदि इसे अधिकांश भूमि स्वामित्व के संबंध में जमा नहीं किया गया है, तो सभी लाभार्थी (भूमि मालिक) 1894 अधिनियम की धारा 4 के तहत भूमि अधिग्रहण के लिए अधिसूचना की तारीख तक 2013 अधिनियम के परंतुक ों के अनुसार मुआवजे के हकदार होंगे। यदि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 31 के तहत दायित्व पूरा नहीं किया गया है, तो उक्त अधिनियम की धारा 34 के तहत ब्याज दिया जा सकता है।क्षतिपूर्ति (अदालत में) जमा न करने के परिणामस्वरूप भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही समाप्त नहीं होती है।पांच साल या उससे अधिक समय तक अधिकांश जोतों के संबंध में जमा न करने के मामले में, 2013 के अधिनियम के तहत मुआवजे का भुगतान 1894 के अधिनियम की धारा 4 के तहत भूमि अधिग्रहण के लिए अधिसूचना की तारीख को "भूमि मालिकों" को किया जाना है। 366.5।यदि किसी व्यक्ति को 1894 अधिनियम की धारा 31 (1) के तहत प्रदान किए गए मुआवजे के रूप में प्रस्तुत किया गया है, तो उसके लिए यह दावा करना खुला नहीं है कि भुगतान न करने या न्यायालय में मुआवजे को जमा न करने के कारण धारा 24 (2) के तहत अधिग्रहण समाप्त हो गया है।भुगतान करने का दायित्व धारा 31 (1) के तहत राशि का भुगतान करके पूरा किया जाता है।जिन भूमि मालिकों ने मुआवजे को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था या जिन्होंने अधिक मुआवजे के लिए संदर्भ मांगा था, वे यह दावा नहीं कर सकते कि अधिग्रहण की कार्यवाही 2013 अधिनियम की धारा 24 (2) के तहत समाप्त हो गई थी।

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

417

जीओवीटी। एन. सी. टी. दिल्ली और ए. एन. आर. बनामएसएच। नरेनडर और ए. एन. आर. [एम. आर. शाह, जे.] ए.

ए.

366.6.2013 के अधिनियम की धारा 24 (2) के परंतुक को धारा 24 (2) के हिस्से के रूप में माना जाना चाहिए, न कि धारा 24 (1) (बी) के हिस्से के रूप में।366.7.1894 के अधिनियम के तहत कब्जा लेने का तरीका और जैसा कि धारा 24 (2) के तहत विचार किया गया है, जांच रिपोर्ट/ज्ञापन तैयार करना है।एक बार जब 1894 के अधिनियम की धारा 16 के तहत कब्जा लेने पर अधिनिर्णय पारित हो जाता है, तो राज्य में निहित भूमि को 2013 के अधिनियम की धारा 24 (2) के तहत विनिवेश का प्रावधान नहीं है, क्योंकि एक बार कब्जा लेने के बाद धारा 24 (2) के तहत कोई चूक नहीं होती है।

बी.

366.8.धारा 24 (2) के प्रावधान उस स्थिति में लागू होते हैं जब अधिकारी 2013 के अधिनियम के लागू होने से पहले पांच साल या उससे अधिक समय तक कब्जा करने और मुआवजे का भुगतान करने में विफल रहे हों।न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेशों के निर्वाह की अवधि को पाँच साल की गणना में बाहर रखा जाना चाहिए।

सी.

डी.

366.9.2013 के अधिनियम की धारा 24 (2) भूमि अधिग्रहण की समाप्त कार्यवाही की वैधता पर सवाल उठाने के लिए कार्रवाई के नए कारण को जन्म नहीं देती है।धारा 24 2013 अधिनियम के प्रवर्तन की तिथि पर लंबित कार्यवाही पर लागू होती है अर्थात 1-1-2014।यह पुराने और समय-बाधित दावों को पुनर्जीवित नहीं करता है और न ही समाप्त कार्यवाही को फिर से खोलता है और न ही भूमि मालिकों को अधिग्रहण को अमान्य करने के लिए न्यायालय के बजाय राजकोष में कार्यवाही या मुआवजे के जमा करने के तरीके को फिर से खोलने के लिए कब्जा लेने के तरीके की वैधता पर सवाल उठाने की अनुमति देता है।”

ई.

एफ.

4. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और इसके द्वारा निर्धारित कानून को लागू करते हुए

इंदौर विकास प्राधिकरण (ऊपर) के मामले में न्यायालय और

जब अपीलार्थी और मूल प्रत्यर्थियों की ओर से यह विशिष्ट मामला था कि विचाराधीन भूमि का कब्जा 14.09.2007 पर लिया गया था, तो उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश में घोषणा की गई थी कि विचाराधीन भूमि के संबंध में अधिनियम, 1894 के तहत शुरू की गई भूमि अधिग्रहण कार्यवाही के तहत यह माना जाता है कि वह समाप्त हो गई है।

जी.

एच.

अधिनियम, 2013 की धारा 24 (2) अस्थिर है और इसे निरस्त और अलग किया जाना चाहिए और तदनुसार इसे रद्द कर दिया जाता है और अपास्त करना दिया जाता है।

तदनुसार वर्तमान अपील की अनुमति है।कोई लागत नहीं।लंबित आवेदन, यदि कोई हों, तो उनका भी निपटारा कर दिया जाता है।

बी.

बिभूति भूषण बोस

अपील की अनुमति दी गई।

(सहायकः अभिषेक प्रताप सिंह, एलसीआरए)

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.